भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3682
(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंजाब में वीबी-जी राम-जी का कार्यान्वयन

3682. डॉ. अमर सिंहः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब में 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत - रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम-जी) को कार्यान्वित करने की अधिसूचना जारी की है और यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इसके अपने आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में बहुत कम मज़दूरों को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' (मनरेगा) के अंतर्गत पूरे 100 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार मिला है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पात्र मज़दूरों को वीबी-जी राम-जी के अंतर्गत वादा किए गए दिनों तक काम मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) मनरेगा/वीबी-जी राम-जी के अंतर्गत पंजाब को 1 जुलाई, 2026 तक देय मज़दूरी और सामग्री के भुगतान की बकाया राशि कितनी है और इनके भुगतान की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026 से वीबी-जी राम जी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पंजाब सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना को अधिसूचित कर दिया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक परिवारों को रोजगार प्रदान करके वीबी-जी राम जी के तहत कार्य शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी नरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन सुगम, निर्बाध और श्रमिक-केंद्रित

रहा है। देश में योजना के शुरू होने के लगभग एक महीने के भीतर 9.69 करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। वीबी-जी राम जी योजना की संक्षिप्त विशेषताएं अनुबंध में दी गई हैं।

(ख): यद्यपि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, फिर भी मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करता है और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र ग्रामीण परिवार अपनी मांग के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हों। पंजाब के मामले में, वित्त वर्ष 2025-26 में श्रमिकों को उनकी मांग के सापेक्ष 99.71% रोजगार की पेशकश की गई थी। वीबी-जी राम जी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उपलब्ध 100 दिनों के सापेक्ष मजदूरी रोजगार के गारंटीकृत दिनों को बढ़ाकर 125 दिनों तक करके रोजगार की वैधानिक गारंटी को और मजबूत किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को उनकी मांग के सापेक्ष रोजगार प्रदान किया जाए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे कार्यों की पर्याप्त कार्यसूची बनाए रखें, अग्रिम योजना बनाएं और श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का पहले ही निपटान किया जा चुका है।

सामग्री घटकों के संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। केंद्र सरकार "स्वीकृत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन, समय-समय पर दो भागों में निधियां जारी करती है, जिसमें प्रत्येक भाग में एक या अधिक किश्तें शामिल होती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान (05.08.2026 की स्थिति के अनुसार), महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंजाब राज्य को 245.97 करोड़ रुपये (जिसमें मजदूरी के लिए 167.86 करोड़ रुपये और सामग्री घटक के लिए 67.31 करोड़ रुपये शामिल हैं) जारी किए गए हैं। वीबी-जी राम जी योजना के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य को 01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 1331.61 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। इसके बाद, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर

विभिन्न घटकों के लिए पहली किस्त के रूप में 439.80 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी और सामग्री घटकों के अंतर्गत लंबित देनदारी क्रमशः 0.29 करोड़ रुपये और 178.52 करोड़ रुपये है। पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे पिछले वित्तीय वर्षों की यदि कोई लंबित देनदारियां हों, तो उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि यह विभाग उनकी जांच कर सके और सभी पात्र भुगतानों को शीघ्रता से जारी कर सके।

लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3682 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की विशेषताएं

1. संवर्धित आजीविका गारंटी: इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका गारंटी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से ग्रामीण विकास को विकसित भारत @ 2047 के साथ जोड़ना है।

2. विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) आधारित आयोजना: आयोजना की प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई तथा राष्ट्रीय स्थानिक आयोजना प्रणालियों के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से की जाएगी, जिसमें स्थानीय विकास की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

3. चार प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्र

(i) जल सुरक्षा: जल संबंधी कार्य जैसे जल संरक्षण संरचनाएं, सिंचाई सहायता, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास और वनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

(ii) मूल ग्रामीण बुनियादी ढांचा: आवश्यक नागरिक, सामाजिक और सेवा वितरण परिसंपत्तियां जैसे ग्रामीण सड़कें, सार्वजनिक भवन, स्कूल बुनियादी ढांचा, स्वच्छता प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आवास कार्य, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

(iii) आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा: कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, बाजार, कौशल विकास और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल उत्पादक परिसंपत्तियां टिकाऊ आजीविका, मूल्य संवर्धन और विविध ग्रामीण आय के अवसरों में सहायता करेंगी।

(iv) खराब मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य: आपदा तैयारी और जलवायु अनुकूलन कार्य जैसे आश्रय स्थल, तटबंध, बाढ़ प्रबंधन संरचनाएं, पुनर्वास कार्य और जंगल की आग प्रबंधन, जलवायु-अनुकूल गांवों के निर्माण में मदद करेंगे।

4. अभिसरण और संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए, अधिनियम एक अभिसरण और संतृप्ति-आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है जो एक एकल, सुसंगत ग्रामीण विकास ढांचे के भीतर पूरक सरकारी योजनाओं को एक साथ लाता है।

5. आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन: यह अधिनियम प्रभावी कार्यान्वयन, जवाबदेही और उच्च सत्यनिष्ठा वाली सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन संरचना स्थापित करता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी सक्षम आयोजना, मोबाइल और डैशबोर्ड-आधारित निगरानी, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली और एक मजबूत सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में योगदान देगा।

6. मुख्य कृषि मौसम की सुरक्षा: राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में मुख्य बुआई और कटाई के मौसम को कवर करते हुए कुल 60 दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, जिस दौरान अधिनियम के तहत कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे, जिससे महत्वपूर्ण समय के दौरान पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

7. केंद्र प्रायोजित योजना: यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारियों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

8. मानक आवंटन: निष्पक्ष तरीके से समावेशी विकास और वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार नियमों में निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आवंटन करेगी। राज्य पंचायतों की श्रेणी और स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित अंतर-राज्यीय वितरण सुनिश्चित करेंगे, जिससे समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।

9. विशेष छूट: प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान, केंद्र सरकार समय पर प्रतिक्रिया और राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी छूट दे सकती है।

10. संस्थागत निगरानी: केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें अपने-अपने क्षेत्रों में कानून के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी। केंद्रीय और राज्य स्तर पर संचालन समितियां मानदंडीय आवंटन, अभिसरण आदि से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार होंगी।